पटना में दिनांक–17 सितम्बर, 2013 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(विशेष)

1.	भारत सरकार की प्रतिपूर्ति आधारित "एस०आर० ई०" योजनान्तर्गत राज्य के जिलों में आतंकवाद, साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा में पीड़ितों के सहायतार्थ मुआवजा की राशि सुरक्षा संबंधी व्यय (एस०आर०ई०) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु ₹ 1,40,00,000/–(रूपये एक करोड़ चालीस लाख) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

गृह विभाग

2.	दिनांक–24.06.2013 को पश्चिम चम्पारण राजस्व जिला के बगहा पुलिस जिलान्तर्गत नौरंगिया थाना क्षेत्र के कटहरवाँ गाँव में हुई पुलिस फायरिंग में सामान्य रूप से घायल 3 (तीन) और व्यक्तियों को अनुग्रह–अनुदान देने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

3.	लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शोध संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु लघु जल संसाधन विभाग के लिए शोध सम्वर्ग (लघु जल संसाधन विभाग) नियमावली, 2013 की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

4.	बिहार ललित कला अकादमी, पटना के संगम ज्ञापन एवं नियमावली की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

परिवहन विभाग
(अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय)

5.	बिहार राज्य में अन्तर्देशीय जलयानों के सुरक्षित परिचालन हेतु अन्तर्देशीय जलयानों का सर्वेक्षण, निबंधन, जलयानों के मास्टर एवं अभियंताओं को सक्षमता प्रमाण–पत्र अनुदत्त करने आदि कार्यों के विनियमन हेतु प्रस्तावित बिहार अन्तर्देशीय जलयान नियमावली, 2013 की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

6. माननीय पटना उच्च न्यायालय सहित राज्य के सभी न्यायालयों में Out Sourcing द्वारा फ्रैंकिंग मशीन से न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री के लिए बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मशीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) नियमावली, 2008 के नियम 02 में परन्तुक जोड़ें जाने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव अंचल के मौजा–सलेमपुर सैनी, थाना सं०–251, खाता सं०–333, खेसरा सं०–1032, रकवा–30 डी० अनाबाद बिहार सरकार किस्म भिठ दो भूमि का अनुमंडलीय उप कारा भवन कहलगाँव के निर्माण हेतु गृह (कारा) विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण। — 7. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. नालंदा जिलान्तर्गत थरथरी अंचल के मौजा–कचहरिया, थाना नं०–198, खाता सं०–145, खेसरा सं०–603 रकबा–0.35 एकड़ (पैंतीस डी०) गैरमजरूआ आम किस्म 'आहर' भूमि अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र कचहरिया के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. अररिया जिलान्तर्गत भरगामा अंचल के मौजा–रामपुर आदि, थाना सं०–82, खाता सं०–575, खेसरा सं०–1526, कुल रकबा–60 डिसमिल प्रखंड परिसर की भूमि का राज्य योजना के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 19,20,000 (उन्नीस लाख बीस हजार) रूपये सलामी एवं सलामी के 5% का 25 गुणा अर्थात् 24,00,000 (चौबीस लाख) रूपये पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 43,20,000 (तैतालीस लाख बीस हजार) रूपये के भुगतान पर नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण। — 9. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. नालंदा जिलान्तर्गत बिहार शरीफ अंचल के मौजा–सिंगारहाट, थाना नं०–119, खाता सं०–151, खेसरा सं०–997, रकबा–0.20 एकड़ (बीस डी०) गैर मजरूआ मालिक किस्म गड्ढ़ा भूमि, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिहारशरीफ के भवन निर्माण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

11. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु स्थापित प्रशासिनक तंत्र में रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शैक्षणिक योग्यता में संशोधन का प्रस्ताव। — 11. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

12. इंदिरा आवास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण एवं प्रबंधन के निमित्त ग्रामीण आवास सहायक के 8422, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के 821, लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) के 534 एवं कार्यपालक सहायक के 900 पदों पर प्रतिवर्ष अनुमानित वार्षिक व्यय ₹ 9564.346 लाख की लागत पर संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में इन कर्मियों के छः माह के पारिश्रमिक पर अनुमानित व्यय हेतु ₹ 4782.173 लाख, ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को एक–एक Android based Mobile Phone देने के लिए ₹ 739. 44 लाख तथा ग्रामीण आवास कर्मी को साईकिल देने हेतु ₹ 210.55 लाख, कुल ₹ 5732.163 लाख (संतावन करोड़ बत्तीस लाख सोलह हजार तीन सौ रूपये) का व्यय करने की स्वीकृति संबंध में। — 12. स्वीकृत।

कृषि विभाग

14. बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को 2013–14 से 2016–17 तक कुल 1480.04 लाख रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2013–14 में एजेंसी को 315.00 लाख रू० (तीन करोड़ पन्द्रह लाख रूपये) सहायक अनुदान की विमुक्ति तथा संलेख की अनुसूची–2 के अनुसार बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी हेतु 31 पदों के सृजन के लिए अनुदान की स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

15. जल संसाधन विभाग, बिहार के द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित 119 कनीय अभियंता (यांत्रिक) का अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजित करने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16. "बिहार अराजकीय संस्कृत विद्यालय (प्रस्वीकृति एवं शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2013" की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

18.	बिहार राज्य जल पर्षद, पटना को राज्य योजना अंतर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष (2013–14) में स्थापना मद (वेतन, भत्ता एवं अन्य) हेतु 600.00 लाख (छः करोड़) रूपये एवं कार्य मद हेतु 200.00 लाख (दो करोड़) रूपये, यानि कुल 800.00 लाख (आठ करोड़) रूपये के सहायक अनुदान की स्वीकृति।	18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19.	गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, भरतपुरा, पटना के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2013–14 में ₹ 29.22 लाख (उनतीस लाख बाइस हजार रूपये) के योजना मद से सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति।	19. स्वीकृत।

वित्त विभाग

20.	बिहार सेवा संहिता के नियम 232 के द्वारा आधे वेतन पर छुट्टी एवं नियम 234 के अधीन संचित आधे वेतन की छुट्टी को पूरे वेतन पर रूपांतरित छुट्टी के प्रावधानों में संशोधन के संबंध में।	20. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

21.	मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उपमुख्य शीर्ष–02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष–110–वन्य जीव परिरक्षण, मांग संख्या–19, उप शीर्ष–0612–वाल्मीकि नगर व्याघ्र योजना (50:50), विपत्र कोड–C–2406021100612 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी में ₹ 97.38 लाख एवं विषय शीर्ष–21 01– सामग्री एवं पूर्तियाँ में ₹ 5.35 लाख अर्थात् कुल ₹ 102.73 (एक करोड़ दो लाख तिहत्तर हजार ₹) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति।	21. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

22.	डा० अरूप कुमार सरकार, (निलंबित) तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, ससवहना (शेखपुरा) को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	22. स्वीकृत।